माननीय न्यायाधीश मेहताब एस. गिल और माननीय न्यायाधीश के. कन्नन के समक्ष

प्रेम चंद मनचंदा और अन्य - याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य - प्रतिवादी

2007 की सीडब्ल्यूपी संख्या 4563

9 जनवरी 2009

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 226-विभाग ने गलत तरीके से याचिकाकर्ताओं का वेतन बढ़ाया और वित्त विभाग द्वारा निर्देश जारी होने की तारीख से वसूली का आदेश दिया - किसी भी याचिकाकर्ता पर किसी भी धोखाधड़ी या किसी स्वैच्छिक कार्य का आरोप नहीं लगाया जा सकता जिसके परिणामस्वरूप उच्च वेतन का भुगतान हुआ - लाभ वापस लेने में कोई गलती नहीं उनके वेतन में वृद्धि करके उच्च वेतनमान की - याचिका को अनुमति, वसूली का आदेश संशोधित - याचिकाकर्ताओं को भुगतान की गई किसी भी अतिरिक्त राशि के लिए कोई वसूली नहीं।

निर्धारित किया कि जो कुछ भी याचिकाकर्ताओं को सूचित नहीं किया गया था, वह वास्तव में तब तक अप्रासंगिक होगा जब तक कि विभाग ने जो गलती की थी, जो बाद में पाई गई थी और सभी याचिकाकर्ताओं को अनुमति दे दी गई की ताकि उन्हें लाभ वापस लेने के विरुद्ध कारण बताने का अवसर मिल पाया था ।इन्होंने वेतन बढ़ाकर गलत तरीके से भुगतान की गई पूरी राशि की वापसी की मांग नहीं की थी। दूसरी ओर, इसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि कोई भी वसूली पूर्वव्यापी प्रभाव से नहीं की जाएगी, बल्कि वित्त विभाग द्वारा निर्देश जारी करने की तारीख से 23 जुलाई, 2003 से ही प्रभावी होगी। यदि इस संबंध में हस्तक्षेप की गुंजाइश है तो इसी दिशा में संशोधन करना होगा। किसी भी याचिकाकर्ता पर उनकी ओर से किसी भी धोखाधड़ी या स्वैच्छिक कार्य का आरोप नहीं लगाया जा सकता जिसके परिणामस्वरूप उन्हें उच्च वेतन का भुगतान हुआ हो। हालांकि वे जिस वेतन के हकदार नहीं थे, उसके लिए उनके वेतन में वृद्धि करके उच्च वेतनमान के लाभ को वापस लेने में कोई गलती नहीं पाते हुए, हम पाते हैं कि न्याय का हित सबसे अच्छा होगा यदि 23 जुलाई, 2003 से प्रभावी वसूली का आदेश दिया जाएगा और इस आशय से संशोधित किया जाएगा कि भुगतान की गई किसी भी अतिरिक्त राशि के लिए कोई वसूली नहीं होगी। विभाग उस दिन से उस अवधि के लिए अनुमानित वेतनमान की पुनर्गणना/पुनर्निर्धारण करने का हकदार होगा जब उनका वेतनमान बढ़ा दिया गया था और वेतन के ऐसे अनुमानित पुनर्निर्धारण पर सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान किया जाएगा। यहां फिर से, हम निर्देश देते हैं कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए किए गए किसी भी अतिरिक्त भुगतान की कोई वसूली नहीं की जाएगी।

(पैरा 12)

याचिकाकर्ताओं की ओर से रघुविंदर सिंह, अधिवक्ता और रवि शर्मा, अधिवक्ता।

हरीश राठी, सीनियर डीएजी, हरियाणा।

2. सी.डब्ल्यू.पी. 2008 की संख्या 9780

याचिकाकर्ताओं की ओर से रवि शर्मा अधिवक्ता, सुनील भारद्वाज अधिवक्ता।

हरीश राठी, सीनियर डीएजी, हरियाणा।

3. सी.डब्ल्यू.पी. 2008 की संख्या 12144

याचिकाकर्ताओं की ओर से रवि शर्मा अधिवक्ता, सुनील भारद्वाज अधिवक्ता।

हरीश राठी, सीनियर डीएजी, हरियाणा।

के. कन्नन, न्यायाधीश

I. लिस की प्रकृति :-

(1) लोक निर्माण विभाग में सुनिश्चित कैरियर प्रगति वेतनमान को प्रभावी बनाकर बढ़े हुए वेतन को बनाए रखने का लाभ और बाद में विभाग द्वारा इसे वापस लेने से रिट याचिकाओं का यह समूह अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुयी जो काफी बड़ी संख्या में ऐसे व्यक्तियों को प्रभावित करता है जो कि संबंधित रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं के रूप में शामिल किये गये हैं ।

(2) सी.डब्ल्यू.पी. 2007 की संख्या 4563 में प्रतिवादी संख्या 2, दिनांक 15 जनवरी, 2007 (अनुलग्नक पी-6) की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई है, जिसके तहत 8 मार्च, 1996 को याचिकाकर्ताओं को दिया गया बढ़ा हुआ वेतनमान वापस ले लिया गया था। हालाँकि, लागू आदेश में स्पष्ट किया गया कि कोई भी वसूली पूर्वव्यापी प्रभाव से नहीं की जाएगी, बल्कि वसूली 23 जुलाई, 2003 से यानी वित्त विभाग द्वारा निर्देश जारी होने की तारीख से प्रभावी होगी। आक्षेपित आदेश में आगे कहा गया है कि सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन 27 मार्च, 2003 को निर्देश जारी होने की तारीख से पहले की अवधि के लिए और वास्तव में निर्देश जारी होने की तारीख यानी 23 जुलाई, 2003 से काल्पनिक रूप से संयोजित/पुनर्निर्धारित की जाएगी। सी.डब्ल्यू.पी. 2008 की संख्या 9780 और 12144 ने 17 अप्रैल, 2008 को जारी प्रतिवादी संख्या 2 के आदेश को चुनौती दी, इसी तरह, याचिकाकर्ताओं को दिए गए वेतन वृद्धि के लाभों को वापस ले लिया और पहले के आदेश में बताए गए तरीके से वसूली की मांग की।

II. द्विवाद को जन्म देने वाले तथ्य:

(3) सभी याचिकाकर्ता शुरू में प्रतिवादी-विभाग की सेवाओं में ड्राफ्ट्समैन के रूप में शामिल हुए थे। उनके लिए प्रचार पद हेड ड्राफ्ट्समैन था। प्रतिवादी-विभाग में उनके रोजगार के दौरान, सभी श्रेणियों के वेतनमानों को 1 जनवरी, 1986 से संशोधित किया गया था और परिणामस्वरूप कुछ विभागों में कर्मचारी संघ द्वारा बताई गई कुछ विसंगतियों के परिणामस्वरूप, वेतनमानों को 1 मई, 1990 से संशोधित किया गया था, 1 जनवरी, 1986 के बजाय। वेतनमान में संशोधन का मतलब बेहतर परिलब्धियाँ थीं, लेकिन उन्हें 23 अगस्त, 1990 को जारी संशोधित निर्देशों के माध्यम से केवल 31 अप्रैल, 1990 से लाभ मिलना शुरू होता हैं । विभाग ने 8 फरवरी 1994 को निर्देशों का एक और सेट जारी किया, जिस में सुनिश्चित कैरियर प्रगति स्केल प्रदान किया गया ताकि सेवा में ठहराव को रोका जाएगा। मुद्दा यह हैं कि ये निर्देश लागू होने के लिए कैसे संचालित होते हैं और बाद में किए गए संशोधनों के साथ-साथ पार्टियों के बीच मुख्य विवाद को जन्म देता है।

III. एसीपी स्केल का दावा करने के लिए विवरण निर्देश:

(4) जो निर्देश समूह 'सी' और समूह 'डी' के सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते थे, उनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान था कि जिन व्यक्तियों ने 1 जनवरी 1994 से पहले 20 साल की नियमित सेवा या उससे अधिक की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, लेकिन जो केवल एक पदोन्नति या पदोन्नति वेतनमान/उच्च समयमान/चयन ग्रेड/ प्राप्त किया हो, तो वर्तमान वेतनमान के स्थान पर 1 जनवरी, 1986 से लागू पद के वेतनमान के संबंध में प्रथम उच्च मानक वेतनमान की अनुमति दी जा सकती है। जिस कर्मचारी ने 1 जनवरी, 1994 के बाद 20 वर्षों की ऐसी नियमित संतोषजनक सेवा पूरी कर ली है, लेकिन उसे केवल एक पदोन्नति या उच्च वेतनमान मिला है, उसे उस महीने के, जिसमें उसने सेवा पूरी की है से अगले महीने के पहले दिन से पहला उच्च मानक वेतनमान दिया जा सकता है,। ऐसे कर्मचारी के मामले में, जिसे पहले ही पदोन्नति मिल चुकी थी, लेकिन पदोन्नति पद का वेतनमान फीडर पद के वेतनमान के बराबर या उससे कम था, तो उससे भी उच्च मानक वेतनमान का लाभ भी दिया जाना था।

IV. याचिकाकर्ता की शिकायत:

(5) याचिकाकर्ता की शिकायत यह थी कि उच्च वेतनमान के लिए निर्देशों की प्रयोज्यता के बावजूद, उन्हें समान वेतन नहीं दिया गया था और 29 दिसंबर, 1995 के नए निर्देशों के लिए कुछ अभ्यावेदन दिए गए थे, जिसमें उनके वेतन में बढ़ोतरी का लाभ दिया गया था। जैसा कि पहले के निर्देशों में कहा गया है, की यह 1 जनवरी, 1994 के बजाय 1 अप्रैल, 1995 से प्रभावी होगा। निर्देशों में विशेष रूप से विभिन्न स्तरों पर वेतनमान भी दिए गए थे, अर्थात् रु1400-2300 जैसा कि 1 जनवरी, 1986 से लागू था। तदनुरूप उच्च वेतनमान रुपये के रूप में दिया गया था, 1600- 2660 वाला वेतनमान। यह स्केल रु. 1600-2660 रुपये के संशोधित वेतनमान 1400-2600 से अधिक था और इस प्रकार पहले उच्च वेतनमान का लाभ स्वीकार्य था। हालाँकि, हेड ड्राफ्ट्समैन के मामले में, 1 मई, 1990 से संशोधित वेतनमान रुपये के वेतनमान के आधार पर स्वीकार्य उच्च मानक वेतनमान के बराबर रहा जो कि इस वेतनमान1600-2660 के आधार पर था। ऐसी स्थिति में, निर्देशों के आधार पर यह उच्च मानक वेतनमान का लाभ नहीं उठाया जा सकता है, लेकिन वे अधिसूचना में विशेष रूप से निर्धारित तरीके से अपना वेतन बढ़ाने के हकदार होंगे। यह देखा जा सकता है कि सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना स्वयं सुनिश्चित पदोन्नति के साथ रोजगार में प्रोत्साहन के रूप में कार्य करने के लिए थी। यदि किसी कर्मचारी को पहले से ही दो या अधिक पदोन्नति मिल चुकी है, तो निहितार्थ से, सुनिश्चित कैरियर प्रगति, वेतनमान का लाभ बिल्कुल भी लागू नहीं होता था। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यह वह पहलू था जिसमें ड्राफ्ट्समैन के पद पर रहने वाले सभी व्यक्तियों के सुनिश्चित कैरियर प्रगति स्केल की अनदेखी की गई थी और जिन्हें, कुछ मामलों में, हेड ड्राफ्ट्समैन के रूप में पदोन्नत किया गया था। एक गलती का उदाहरण हैं जैसा कि याचिकाकर्ता ने बताया, अभिनाशी लाल चुघ का मामला था जो मूल रूप से एक ट्रेसर था, जिसे बाद में ड्राफ्ट्समैन के रूप में पदोन्नत किया गया और फिर बाद में हेड ड्राफ्ट्समैन के रूप में पदोन्नत किया गया, उसे सुनिश्चित कैरियर प्रगति स्केल भी दिया गया था, लेकिन इस दौरान प्रासंगिक अवधि में, उक्त व्यक्ति को दो पदोन्नति प्राप्त हुई थी और उसकी प्रारंभिक नियुक्ति ट्रेसर के रूप में निचले पद पर थी और दो पदोन्नति प्राप्त होकर उसे दिए गए सुनिश्चित कैरियर प्रगति स्केल के तहत लाभ स्पष्ट रूप से गलत था। जब उन्हें गलती का पता चला और उन्होंने अभिनाशी लाल चुघ के खिलाफ वसूली की मांग की, तो उन्होंने याचिकाकर्ताओं जैसे सभी व्यक्तियों के लिए एक ही मापदंड लागू किया, उस में से जिन्होंने कुछ मामलों में ड्राफ्ट्समैन के

रूप में पदोन्नति प्राप्त की थी। बढ़े हुए वेतनमान को वापस लेने का आदेश 15 जनवरी, 2007 को रिट याचिका में लागू कार्यवाही द्वारा प्रभावी किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने सभी ड्राफ्ट्समैन के साथ समान व्यवहार किया और एसीपी वेतनमान वापस लेने के समान आदेश वाले कुछ व्यक्तियों से मुलाकात की। बाद में 17 अप्रैल, 2008 की कार्यवाही द्वारा वसूली की गई जिसे ऊपर उल्लिखित अन्य दो रिट याचिकाओं में चुनौती दी गई।

V. राज्य का बचाव पक्ष :

(6) उत्तरदाताओं द्वारा दिया गया औचित्य यह था कि एसीपी अनुदान का दावा मूल रूप से रुपये के रूप में लागू किया गया था जिस में की 10,000 रुपय ग्रुप 'सी' को और ग्रुप 'डी' के कर्मचारियों को टाइम स्केल में 20,000 रुपये मिलेंगे, - सरकार के 14 मई, 1991 के पत्र के तहत इसे 1 जनवरी, 1991 से प्रभावी किया गया और 7 अगस्त, 1992 को लागू किया गया। बाद का दावा एसीपी के अनुप्रयोग के लिए संदर्भित किया गया है जो सेवा के वर्षों, अर्थात् 8/18 वर्ष के पूरा होने को संदर्भित करता है। इस अवधि के बाद में 8 फरवरी, 1994 के सरकारी पत्र द्वारा 8/18 वर्ष को 10/20 वर्ष के रूप में बदल दिया गया था, जो 1 अप्रैल, 1994 से प्रभावी होना था। इस दावे को 1 जनवरी, 1996 को हरियाणा सिविल सर्विसेज एश्योर्ड कैरियर प्रगति (नियम 1998) की शुरूआत द्वारा फिर से संशोधित किया गया था।

(7) जब यह योजना अपनी अधिसूचना के माध्यम से और बाद में नियमों के माध्यम से लागू हुई, तो इसने कुछ विषम स्थिति को जन्म दिया, जिसके लिए समय-समय पर कई स्पष्टीकरण जारी करने की आवश्यकता पड़ी। सुरिंदर सिंह और अन्य द्वारा 1997 की सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 7255 दायर की गयी एक रिट याचिका मे, इस न्यायालय ने एसीपी योजना की पात्रता के लिए 'नियमित संतोषजनक सेवा' की गणना के लिए तदर्थ सेवा की गिनती के मुद्दे से निपटा था ।मामले की तथ्यात्मक स्थिति में, न्यायालय ने पाया कि किसी वरिष्ठ को उच्च मानक वेतनमान का लाभ इस आधार पर नहीं दिया जाएगा कि उसके कनिष्ठ का वेतन परिपत्र में निहित योजना के अनुसार उसके वेतन से अधिक तय किया गया था। यह अवलोकन दिनांक 8 फरवरी, 1994 के निर्देशों पर विचार करने के लिए किया गया था। इस तरह के बयान का तर्क यह था कि एसीपी स्केल का उद्देश्य उच्च जिम्मेदारियों को शामिल किए बिना सेवा की लंबाई के आधार पर उच्च वेतनमान प्रदान करना था और इसलिए ऐसे मामलों में जहां एक कनिष्ठ ने आकस्मिक परिस्थितियों में उच्च वेतन अर्जित किया, वेतन वृद्धि का कोई लाभ केवल वरिष्ठता के आधार पर स्वीकार्य नहीं होगा। फैसले ने विभाग को 23 जुलाई, 2003 की अधिसूचना जारी करने के लिए मजबूर कर दिया, जिसने सी.डब्ल्यू.पी. में 29 दिसंबर, 1995 (अनुलग्नक पी-3) को दिए गया स्पष्टीकरण को वापस ले लिया। 2007 सी.डब्ल्यू.पी की संख्या 4563 में एक प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि वरिष्ठ कर्मचारी का वेतनमान उसके कनिष्ठ के स्तर तक बढ़ाया जाएगा, बशर्ते कि यह लाभ अस्थायी आधार पर नियुक्त कनिष्ठ सरकारी कर्मचारी के अलावा किसी वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी को स्वीकार्य नहीं होगा। इसने केवल 8 फरवरी, 1994 (अनुलग्नक पी-2) को दिए गए पहले के निर्देशों की पुष्टि की है कि उच्च मानक वेतनमान ठहराव के लिए मुआवजे की प्रकृति में है और उनकी जिम्मेदारियों को शामिल किए बिना सेवा की अवधि के आधार पर प्रोत्साहन के रूप में लिया गया और इससे वरिष्ठता के शीर्ष के अंतर्गत किसी वरिष्ठ को वेतन बढ़ाने का लाभ मान्य नहीं होगा। सरकार ने महसूस किया कि उसने केवल कुछ कनिष्ठों के वेतनमानों की तुलना में वरिष्ठता के आधार पर वरिष्ठों के वेतनमान बढ़ा दिए हैं और इस लाभ को वापस लेने की मांग की है और इसे आक्षेपित नोटिस में उल्लिखित तरीके से वसूली प्राप्त की। कार्रवाई

की तैयारी करते हुए सरकार ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था और अंतिम आदेश भी दिया गया था.

VI. प्रासंगिक विचार:

(ए) सुरिंदर सिंह के मामले का आधार

(8) आक्षेपित आदेश इस धारणा पर आधारित है कि एसीपी स्केल लागू करते समय, पात्रता के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले वर्षों की प्रासंगिक संख्या लेने के बजाय, सेवा न्यायशास्त्र में लागू सामान्य सिद्धांत का गलत अनुप्रयोग किया गया था कि वरिष्ठों के वेतनमान जूनियर के पैमाने के अनुरूप में कदम बढ़ाया जाना चाहिए। यह पाया गया है कि कुछ वरिष्ठों के लिए वेतनमान में इस तरह की बढ़ोतरी तब की गई थी जब कनिष्ठों को उच्च वेतन दिया गया था और **सुरिंदर सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य** की सी.डब्ल्यू.पी. 1997 का क्रमांक 7255, दिनांक 10 सितंबर, 1997 में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के सिद्धांत को लागू करने का इरादा था जहां कि एक वरिष्ठ को उच्च मानक वेतनमान का लाभ इस आधार पर नहीं दिया जाना चाहिए कि उसके कनिष्ठ का वेतन परिपत्र में निहित योजना के अनुसार उसके वेतन से अधिक तय किया गया था। यह निर्णय विशेष रूप से खंडपीठ के समक्ष उठाए गए एक बिंदु के संदर्भ में दिया गया था कि क्या एसीपी योजना का लाभ बढ़ाने के लिए सेवा के वर्षों की अर्हक संख्या की गणना के लिए तदर्थ सेवा की अवधि को गिना जाना चाहिए। बेंच केवल उस स्पष्टीकरण की पुष्टि कर रही थी जो विभाग द्वारा पहले ही दिया जा चुका था कि इस तरह का लाभ केवल वरिष्ठता के आधार पर, कैडर के भीतर नियमित संतोषजनक सेवा के वर्षों की संख्या के संदर्भ के बिना नहीं दिया जा सकता है।

(बी) वरिष्ठ और कनिष्ठ के लिए वेतनमान की समानता पर लागू होते अपवाद :

(9) एसीपी स्केल का अनुप्रयोग हमेशा योजना की शर्तों के संदर्भ में ही किया जाना चाहिए। यह सिद्धांत लागू करना गलत होगा कि एक वरिष्ठ हमेशा उच्च वेतन का हकदार होगा, केवल इसलिए कि एक कनिष्ठ ने इतने ऊंचे वेतनमान को प्राप्त किया है। ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं जब ऐसी स्थिति नहीं होगी। केवल इस आधार पर वेतन बढ़ाना कि एक जूनियर अधिक वेतन प्राप्त कर रहा है, अस्थिर होगा, जहां एक जूनियर कुछ कठिन काम के लिए विशेष वेतन का आनंद ले रहा है और उच्च वेतन अर्जित कर रहा है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बताया है, **सुरिंदर कुमार बनाम भारत संघ में**[1]। वेतन की समानता केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 (डी) के माध्यम से अधिनियमित "समान कार्य के लिए समान वेतन" के संवैधानिक सिद्धांत के संदर्भ में होगी। इसी तरह की स्थिति तब भी उत्पन्न हो सकती है जब एक तदर्थ पदोन्नत व्यक्ति किसी उच्च पद पर पहले के पद पर नियुक्ति पर उच्च वेतन प्राप्त करता है, जबकि उसने वेतन वृद्धि अर्जित की हो सकती है। जब पदोन्नति पर उसका वेतन तय करने के लिए पिछला वेतन लिया जाता है, तो उसका वरिष्ठ वेतन बढ़ने की उम्मीद नहीं कर सकता है। इस स्थिति पर **भारत संघ बनाम आर. स्वामीनाथन**[2] के मामले में विचार किया गया था। एक अन्य स्थिति जिसे न्यायालयों ने समझा है, वह यह है कि जब सीधी भर्ती वाले व्यक्ति को पद से जुड़े वेतनमान की पेशकश की गई थी, जबकि वही पद पहले अनुबंध पर निचले वेतनमान के तदर्थ

---

[1](2005) 2 एससीसी 313 = एआईआर 2005 एस.सी. 1103

[2] 1997) 7 एस.सी.सी. 690

नियुक्त लोगों के लिए था, तो ऐसा तदर्थ नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ने की मांग नहीं कर सकता है। उसका वेतन यदि किसी योजना के तहत, उसकी सेवाओं को नियमित करने की मांग की जाती है और उसका वेतन उस पैमाने पर तय किया जाता है जो वह अर्जित करता अगर उसकी सेवाएं उस दिन नियमित हो जातीं। यह स्थिति **कर्नाटक राज्य बनाम श्री जी. हलप्पा**[3] में नोट की गई थी। एक और उदाहरण हो सकता है, जब पदोन्नति के रास्ते की दो धाराएँ हों और जब पदोन्नति पद पर दो अलग-अलग फीडर कैडर से कब्जा कर लिया गया हो, तो पद छोड़ने का मुद्दा ही नहीं उठता। इस स्थिति से **भारत संघ बनाम ओ.पी. सक्सेना**[4] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय में निर्धारित किया गया था ।

(10) आक्षेपित आदेश दिनांक 15 जनवरी 2007, 2007 सी.डब्ल्यू.पी. की संख्या 4763 में कार्यालय आदेश संख्या 197/ई-2 दिनांक 8 मार्च 1996 का हवाला दिया गया है कि 81 हेड ड्राफ्ट्समैन (एचडीएम) के वेतनमान के स्तर पर 2000-3200 रुपये तक बढ़ाया गया था, जो कि 1 अप्रैल, 1995 से उनके कनिष्ठों के स्तर पर था और परिणामस्वरूप वरिष्ठ अधिकारियों को वेतन भत्ते में वृद्धि का लाभ वापस लेने की मांग की गई थी। जिस स्थिति में कनिष्ठों ने अधिक वेतन अर्जित किया वह आदेश से स्पष्ट नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने इस अधिनियम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता उन पदों पर कार्यरत थे जिनका वेतनमान 1 जनवरी, 1986 के वेतनमान के विरुद्ध 1 मई, 1990 से संशोधित किया गया था। उनके अनुसार, याचिकाकर्ताओं को उच्चतर मानक वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया था लेकिन उन्हें केवल समान स्थिति वाले कनिष्ठों के बराबर रखा गया। उन्होंने एक हेड ड्राफ्ट्समैन का उदाहरण दिया, जिसने एक पदोन्नति प्राप्त की और 1600-2660 रुपये के वेतनमान में 20 साल या उससे अधिक की नियमित संतोषजनक सेवा पूरी की और 1 जनवरी 1986 को, पहला उच्च मानक वेतनमान रु. 1640-2900 को दिनांक 8 फरवरी, 1994 के पत्र के अनुलग्नक के कॉलम III के अनुसार था । यह 1 जनवरी, 1986 को सर्कल हेड ड्राफ्ट्समैन के पदोन्नति वेतनमान के बराबर था और इसलिए 2000-3200 रुपये के उच्च मानक वेतनमान का लाभ, दिनांक 8 फरवरी, 1994 के पत्र के पैरा 5 के अनुसार स्वीकार्य था। उक्त पत्र इस प्रकार स्पष्ट करता है: -

> "यदि किसी कर्मचारी को पहले ही पदोन्नति मिल चुकी है, लेकिन पदोन्नति पद का वेतनमान फीडर पद के वेतनमान के बराबर या उससे कम है, तो ऐसे मामलों में उच्च मानक वेतनमान का लाभ दिया जाएगा।"

याचिकाकर्ताओं के वेतनमान में श्री अबनाशी लाल चुग और अन्य समान स्थिति वाले कर्मचारियों के साथ ड्राफ्ट्समैन के वेतनमान जो 2000-3200 का था, उसके संदर्भ में 1 अप्रैल, 1995 से वृद्धि की गई है। आवेदकों को उच्चतम वेतनमान जो कि 2000-3200 का था, और 1 अप्रैल, 1995 से प्रभावी, उसे भी दिया गया है।। याचिकाकर्ताओं के अनुसार यह केवल एसीपी स्केल के लिए उनके दावों की संतुष्टि के लिए था और उन्हें कभी नहीं पता था कि श्री अबनाशी लाल चुग के कारण वेतन में कोई वृद्धि हुई हैजाह की रुपये के ऊंचे पैमाने पर रखा गया था जो कि 2000-3200 का था। 29 दिसंबर, 1995 को लागू किया गया तथाकथित स्पष्टीकरण, आंतरिक विभागीय संचार का हिस्सा होने के कारण, उन पर कभी लागू नहीं किया गया था।

VII. हमारी डिस्पेन्सेशन

---

[3]2002) 4 एससीसी 662

[4]1997) 6 एस.सी.सी. 360

(11) उच्च वेतनमान के निर्धारण की पूरी प्रक्रिया को पहले सेवा की अवधि '10/20 वर्षों की नियमित संतोषजनक सेवा' की गणना करके योजना के आलोक में पुनर्मूल्यांकन किया जाना है। यह सुरिंदर सिंह के मामले (सुप्रा) में निर्धारित तरीके से तदर्थ सेवा की अवधि की गणना करके भी किया जाएगा। उच्च वेतनमान प्रदान करते समय, यदि कोई कनिष्ठ अधिक वेतन प्राप्त करता है, तो वरिष्ठ के लिए वेतन बढ़ाना हमेशा ऊपर उल्लिखित परिस्थितियों में परिणामित नहीं होगा। यदि संतोषजनक वर्षों की प्रासंगिक संख्या के पूरा होने पर उच्च वेतनमान तय किया गया है तो वरिष्ठों को 10/20 वर्ष की सेवा, ऐसे कनिष्ठों के लिए वेतनमान के संदर्भ के बिना, जिन्होंने तदर्थ पदोन्नति पदों और ऐसी ही स्थितियों में स्थानापन्न द्वारा वेतन वृद्धि के माध्यम से उच्च वेतन अर्जित किया हो, तो वहाँ उच्च वेतन के लाभों को वापस लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। हालाँकि, यदि वेतनमान गलत तरीके से बढ़ा दिया गया है, तो लाभ वापस लेने का औचित्य है। ऐसे मामले में भी, पहले से किए गए उच्च वेतन की कोई वसूली नहीं की जाएगी।

(12) जो कुछ भी याचिकाकर्ताओं को सूचित नहीं किया गया था, वह वास्तव में तब तक अप्रासंगिक होगा जब तक कि विभाग ने जो गलती की थी, जो बाद में पाई गई थी और सभी याचिकाकर्ताओं को अनुमति दे दी गई की ताकि उन्हें लाभ वापस लेने के विरुद्ध कारण बताने का अवसर मिल पाया था ।इन्होंने वेतन बढ़ाकर गलत तरीके से भुगतान की गई पूरी राशि की वापसी की मांग नहीं की थी। दूसरी ओर, इसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि कोई भी वसूली पूर्वव्यापी प्रभाव से नहीं की जाएगी, बल्कि वित्त विभाग द्वारा निर्देश जारी करने की तारीख से 23 जुलाई, 2003 से ही प्रभावी होगी। यदि इस संबंध में हस्तक्षेप की गुंजाइश है तो इसी दिशा में संशोधन करना होगा। किसी भी याचिकाकर्ता पर उनकी ओर से किसी भी धोखाधड़ी या स्वैच्छिक कार्य का आरोप नहीं लगाया जा सकता जिसके परिणामस्वरूप उन्हें उच्च वेतन का भुगतान हुआ हो। हालांकि वे जिस वेतन के हकदार नहीं थे, उसके लिए उनके वेतन में वृद्धि करके उच्च वेतनमान के लाभ को वापस लेने में कोई गलती नहीं पाते हुए, हम पाते हैं कि न्याय का हित सबसे अच्छा होगा यदि 23 जुलाई, 2003 से प्रभावी वसूली का आदेश दिया जाएगा और इस आशय से संशोधित किया जाएगा कि भुगतान की गई किसी भी अतिरिक्त राशि के लिए कोई वसूली नहीं होगी। विभाग उस दिन से उस अवधि के लिए अनुमानित वेतनमान की पुनर्गणना/पुनर्निर्धारण करने का हकदार होगा जब उनका वेतनमान बढ़ा दिया गया था और वेतन के ऐसे अनुमानित पुनर्निर्धारण पर सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान किया जाएगा। यहां फिर से, हम निर्देश देते हैं कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए किए गए किसी भी अतिरिक्त भुगतान की कोई वसूली नहीं की जाएगी।

(13) इसलिए, सभी रिट याचिकाओं को इस निर्देश के साथ निपटाया जाता है कि उच्च वेतनमान, यदि उन्हें केवल इस आधार पर उनके वेतन को बढ़ाकर पुनर्निर्धारित किया गया है कि कुछ कनिष्ठों को उच्च वेतन दिया गया है, वापस ले लिया जाएगा। पहले से किए गए अतिरिक्त भुगतान के लिए कोई वसूली नहीं की जाएगी। सेवानिवृत्ति लाभों को संबंधित कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के अंतिम दिन आहरित वेतन के अनुमानित पुनर्निर्धारण पर पुनर्निर्धारित/पुन:गणना किया जाएगा। यदि याचिकाकर्ताओं को अधिक वेतन दिया गया है एसीपी स्केल के अनुप्रयोग के परिणामस्वरूप, तो कोई भी लाभ वापस लेने का प्रश्न नहीं होगा और वसूली का भी कोई प्रश्न नहीं होगा। 2007 सी.डब्ल्यू.पी. की संख्या 45673 में निर्णय और तर्क, सी.डब्ल्यू.पी. 2008 की संख्या 9780 और 12144 के निष्कर्षों को भी नियंत्रित करेगी।। संबंधित रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ता भी उच्च वेतनमान के हकदार नहीं होंगे यदि उन्हें गलत आधार पर आगे बढ़ाया गया है, और इस तथ्य के अलावा कि वे किसी भी वसूलीके लिए भी उत्तरदायी नहीं हैं।। जब भी सेवानिवृत्ति लाभ उत्पन्न होंगे, उनकी गणना

उनके वेतन को बढ़ाए बिना वेतन के अनुमानित पुनर्निर्धारण पर की जाएगी। उपरोक्त टिप्पणियों के आलोक में मुद्दे की पुनः जांच के लिए विवादित आदेशों को अलग रखा जाता है।

(14) सभी रिट याचिकाओं का निपटारा उपरोक्त निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

ऋतु तंवर
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
हरियाणा न्यायिक सर्विसेज़